भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 74
दिनांक 04 दिसंबर 2025

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मांग

†*74. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा दर्शाई गई वर्ष 2035 तक देश में कच्चे तेल की मांग में सैंतीस प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की मांग में पिचासी प्रतिशत अपेक्षित वृद्धि को अपने विभिन्न प्रचालनों के माध्यम से पूरा किया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए कोल बेड मीथेन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, शेल ऑयल और गैस आदि जैसे स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार और इस क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां मांग में इस भारी वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए परिवहन और भंडारण अवसंरचना की दृष्टि से तैयार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊर्जा की भावी मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोरसायन और हरित ऊर्जा घटकों को किन-किन तरीकों से एकीकृत किया जा सकता है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मांग' के बारे में संसद सदस्य श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 74 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारत के वर्ष 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि का एक प्रमुख चालक बने रहने की संभावना है, जो इसके मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत वर्ष 2024 और वर्ष 2035 के बीच तेल की मांग में वैश्विक वृद्धि में 40% से अधिक और प्राकृतिक गैस की मांग में लगभग 8% का योगदान करेगा, जबकि ओपेक का अनुमान है कि इसी अवधि में भारत का हिस्सा तेल के लिए लगभग 23% और गैस के लिए 10% होगा। सरकार ने घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने, प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और संतुलित ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए हरित और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपायों और क्षेत्रीय सुधारों को भी लागू किया है। पारंपरिक (तेल और प्राकृतिक गैस) के साथ-साथ अपरंपरागत (कोल बेड मीथेन, शेल ऑयल तथा गैस और गैस हाइड्रेट) हाइड्रोकार्बन संसाधनों के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ग): वर्तमान में, कच्चे तेल के परिवहन के लिए 10,400 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन, पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए 24,000 किलोमीटर की पाइपलाइन और 25,429 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन और टाई-इन कनेक्टिविटी पाइपलाइन सहित) चालू है। इसके अलावा, तेल और गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम निरंतर आधार पर परिवहन नेटवर्क के विस्तार और संवर्द्धन के लिए परियोजनाएं चलाते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को अधिकृत किया है।

पीएनजीआरबी ने देश भर में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए संपूर्ण मुख्य भूमि क्षेत्र को आच्छादित करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है।

कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता का निर्माण करने के लिए, सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजनार्थ कम्पनी के माध्यम से, तीन स्थलों अर्थात् (i) विशाखापत्तनम-1.33 एमएमटी, (ii) मंगलुरु-1.5 एमएमटी और (iii) पादुर-2.5 एमएमटी पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता के साथ कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व (एसपीआर) सुविधाएँ स्थापित की हैं। सरकार ने ओडिशा में चंडीखोल-4 एमएमटी और कर्नाटक में पादुर-2.5 एमएमटी में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व सुविधाओं को भी मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, देश भर में विभिन्न रिफाइनरियों में कुल 8 एमएमटी क्रूड टैंकेज क्षमता है।

(घ): सरकार ने जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अन्तर्गत 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करना और एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फीडस्टॉक के दायरे को व्यापक बनाना शामिल है। पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से ईएसवाई 2024-25 (अक्टूबर 2025 तक) तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल में किए गए एथेनॉल मिश्रण के परिणामस्वरूप 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, साथ ही लगभग 260 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) सहित उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल

अवशेष निवारण (पीएम जी-वन) योजना शुरू की गई है। संपीडित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत) योजना शुरू की गई है, और बायोमास एकत्रीकरण को बढ़ावा देने और सीबीजी संयंत्रों को मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए बीएएम (बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी) और डीपीआई (सीधी पाइपलाइन अवसंरचना) जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं। वर्ष 2030 तक 5 एमएमटीपीए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) शुरू किया गया है।

*****

अनुलग्नक

पारंपरिक (तेल और प्राकृतिक गैस) के साथ-साथ अपरंपरागत (कोल बेड मीथेन, शेल ऑयल और गैस और गैस हाइड्रेट) हाइड्रोकार्बन संसाधनों के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के उपाय

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) व्यवस्था के अंतर्गत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण हेतु नीति, 2014;

ii. खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015;

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी), 2016;

iv. पीएससी के विस्तार हेतु नीति, 2016 और 2017;

v.कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017;

vi. राष्ट्रीय डेटा भंडार की स्थापना, 2017

vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017;

viii. तेल/गैस की उन्नत पुनप्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने की नीति, 2018;

ix. मौजूदा संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के अधीन सीबीएम, शेल तेल और गैस आदि सहित अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और संदोहन के लिए नीतिग ढांचा, 2018;

x. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के अधीन खुला रकबा अनुज्ञप्ति कार्यक्रम (ओएएलपी) ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं, 2019;

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020;

xii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) "निषिद्ध" क्षेत्र को मुक्त करना, जिसे पहले वर्ष 2022 तक अन्वेषण के लिए अवरुद्ध किया गया था;

xiii. व्यापार में सुगम्यता, संविदात्मक स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन।

xiv. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 ने "खनिज तेलों" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें हाइड्रोकार्बन की एक व्यापक श्रेणी को शामिल किया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक रूप भी शामिल हैं, जिससे एक ही पट्टे के अन्तर्गत इन हाइड्रोकार्बन का उत्पादन संभव हो सकेगा।

xv. पहले, खनिज तेलों की परिभाषा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल थे। तथापि, अब खनिज तेल को किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल, श्यान या ठोस रूप में, या इनका मिश्रण हो एवं इसमें अपने सामान्य औद्योगिक अर्थ में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, संघनित, कोल बेड मीथेन, ऑयल शेल, शेल गैस, शेल ऑयल, टाइट गैस, टाइट ऑयल, गैस हाइड्रेट और खनिज तेलों के साथ पाई जाने वाली अन्य गैसें शामिल हैं, लेकिन इसमें पेट्रोलियम, कोयला या शेल के साथ पाई जाने वाली कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं हैं।

xvi वर्ष 2017 में, सीबीएम के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था ताकि सीबीएम के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की जा सके और मौजूदा ब्लॉकों में परिचालन संबंधी मुद्दों को सुव्यवस्थित किया जा सके।

xvii. वर्ष 2018 में, सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (और सहायक कंपनियों) को कोयला क्षेत्रों से अन्वेषण और संदोहन अधिकार प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें अधिसूचित कीं।

xviii. गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति के अंतर्गत एक नया उप-क्षेत्र, " सिनगैस के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण " बनाया गया है।

xix. सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः चंद्रपुर, महाराष्ट्र और सोनपुर बाजारी, पश्चिम बंगाल में कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

xx. सरकार ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में ₹8,500 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट की शुरुआत की गई है, बशर्ते कि कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

xxi. शेल गैस/तेल के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. भारत में ईएंडपी ऑपरेटरों को मौजूदा उत्पादन साझाकरण संविदाओं, सीबीएम ब्लॉकों और नामांकन अनुज्ञप्तियों के तहत सभी अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (सीबीएम, शेल तेल/गैस और गैस हाइड्रेट) का अन्वेषण करने और विकास करने की अनुमति देना। इससे मौजूदा पीएमएल क्षेत्रों में शेल गैस/तेल का अन्वेषण और विकास संभव हो सकेगा।

ख. तेल और गैस के लिए उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा, जिसके तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (शेल गैस/तेल और गैस हाइड्रेट) की भविष्य की खोजों के लिए ऑपरेटरों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

ग. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड द्वारा कुल 30 कूपों का वेधन किया गया और शेल गैस की क्षमता से संबंधित और अधिक आँकड़े प्राप्त करने के लिए ओएएलपी ब्लॉकों में अपरंपरागत शेल कोर एकत्र किए गए। इसी प्रकार, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने कुल 4 कूपों का वेधन किया।

xxii. सरकार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी), वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत) आदि योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हुए एथेनॉल, संपीडित जैवगैस, हाइड्रोजन आदि जैसे उभरते ईंधनों के साथ ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से ईएसवाई 2024-25 (अक्टूबर 2025 तक) तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 1.5% से बढ़कर लगभग 19.97% हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 260 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है।